



## कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय- साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

फोन नं. 07759-221288 फैक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं.-12 पिन कोड-495677

Website : [www.korbamunicipal.in](http://www.korbamunicipal.in)

Email : [Corporationkorba@gmail.com](mailto:Corporationkorba@gmail.com)

फा.क./11/भवन अनुज्ञा/2019/ 5261

कोरबा दिनांक 29/6/2019

### रुचि की अभिव्यक्ति

माननीय उच्च न्यायालय,बिलासपुर छ.ग. द्वारा रिट पिटीशन(पीआईएल) क्रमांक 40/2018, श्री महेश तिवारी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया तथा छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 के परिपालन में नगर पालिक निगम कोरबा अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण भवनों में Fire Safety Training & Fire Safety Audit छ.ग. में पंजीकृत एनजीओ से कराया जाना है ।

अतः पंजीकृत एनजीओ अपना प्रस्ताव दिनांक 23.07.19 सायं 5.30 बजे तक कार्यालय, नगर पालिक निगम,कोरबा में "ई-टेण्डरिंग" के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन हेतु राशि रु. 1,000/- ऑनलाईन जमा करना होगा । अधिक जानकारी के लिये के वेबसाईट [WWW.korbamunicipal.in](http://WWW.korbamunicipal.in) में देखी जा सकती है ।

अधीक्षण अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छत्तीसगढ़)



## कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय— साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)


फोन नं. 07759-221288 फैक्स नं. 07759-221929 पो.बाक्स नं.-12 पिन कोड-495677

Website : www.korbamunicipal.in

Email : Corporationkorba@gmail.com

### शर्तें :-

1. NBC (National Building Code of India Cheptar IV Fire & Life Safety) में दिये गये प्रावधान/नियम अनुसार नगर पालिक निगम कोरबा के निम्न भवनों में Fire Safety Training & Fire Safety Audit का कार्य करना होगा साथ में भवनों के एरिया अनुसार प्रस्ताव देना होगा ।
  - A. साकेत भवन – मुख्य प्रशासनिक भवन नगर पालिक निगम,कोरबा ।
  - B. गीताजंली भवन – पुराना बस स्टेण्ड,कोरबा ।
  - C. कबीर भवन – सरदार पटेल नगर पश्चिम,कोरबा ।
  - D. इतवारी बाजार सामुदायिक भवन – वार्ड क. 05 कोरबा ।
  - E. सभी जोन कार्यालय –
    - E.1 कोरबा जोन कार्यालय, सुनालिया नहर के पास कोरबा
    - E.2 टी.पी. नगर जोन कार्यालय,इंदिरा स्टेडियम,कोरबा
    - E.3 कोसाबाड़ी जोन कार्यालय, निहारिका सिनेमा के पास, कोसाबाड़ी कोरबा
    - E.4 पं. रविशंकर शुक्ल नगर जोन कार्यालय,पं. रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा।
    - E.5 बालको जोन कार्यालय,बस स्टेण्ड के पास बालको
    - E.6 दर्सी जोन कार्यालय,प्रतीक्षा बस स्टेण्ड के पास,दर्सी जमनीपाली पश्चिम कोरबा
    - E.7 सर्वमंगला जोन कार्यालय, प्रेम नगर कुसमुण्डा
    - E.8 बांकीमोंगरा जोन कार्यालय, बांकीमोंगरा
2. अमानत राशि रु. 20,000 /-(रु. बीस हजार) ऑनलाईन जमा करना होगा ।
3. कार्य करने की वैद्यता बारह (12) माह होगी एवं प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा ।
4. अशासकीय संस्था (एनजीओ)द्वारा कार्य समयावधि में पूर्ण न करने पर संबंधित संस्था से प्रस्तावित लागत/मूल्य का 0.01 प्रतिशत प्रतिमाह की दर लंबित अवधि हेतु दण्ड देना होगा ।
5. ऑफर स्वीकृत होने पर एनजीओ को नगर पालिक निगम में उपस्थित होकर 03 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ करना होगा ।
6. शासन को देय समस्त करों/शुल्कों का भुगतान करने की जवाबदारी कार्य ऐजेंसी/एनजीओ की होगी एवं कार्य के प्रत्येक चल देयकों से 05 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि की कटौती की जावेगी ।
7. ऑफर में भाग लेने वाले एनजीओ को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों आयकर प्रमाण पत्र,पेनकार्ड,जीएसटी पंजीयन एवं छ.ग. वाणिज्यक प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. 10.00 लाख से अधिक के कार्य में छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर के आदेशानुसार उक्त कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से काटा जायेगा ।

  
अधीक्षक अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छत्तीसगढ़)